27-10-25

पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित
निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर
खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय
प्रति पृथक से तहसीलदार अलवर को
भिजवाई जाकर पत्रावली नम्बर से
कम हो बाद तकमील पत्रावली दाखिल
दफ्तर होवे।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,अलवर जिला अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्री माधव भारद्वाज (आई0ए0एस)

मु.नं.	किस्म	तारीख दायर	तारीख निर्णय
5/25	अपील	18.08.2025	27.10.2025

उनवान

1:–मैसर्स पारूल कन्स्ट्रैक्शन कम्पनी जरिये पार्टनर अंजन कुमार पुत्र हनुमानसिंह जाट उम्र करीब 52 साल एंव श्रीमति इनोद चौधरी पत्नी अंजन कुमार निवासी ग्राम कोडीसर झुन्झुनु–राज० हाल प्लाट न04 फलेट न0601 बालाजी टावर 6वी मंजिल ऐयरपोर्ट प्लाजा दुर्गापुरा जयपुर – राज० जरिये अधिकृत हस्ताक्षकर्ता शोकत खॉन पुत्र दुपाला खॉन निवासी सुफेदा का बास घघोली पोस्ट देसूला जिला अलवर

अपीलान्ट

बनाम

1:–ग्राम पंचायत घेघौली जरिये सरपंच/प्रशासक कार्यालय ग्राम पंचायत घघोली तहसील अलवर जिला अलवर।

रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध इंतकाल संख्या 1306 दिनॉक 27–06–2025 आदेश दिनॉक 28.6.25 वाके ग्राम व ग्राम पंचायत घेघोली, पटवार मण्डल देसूला, तहसील अलवर

निर्णय

अपीलान्टस ने राज.भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत जर्ये वकील ने निवेदन किया कि अपीलान्ट पार्टनरशीप फर्म कम्पनी है जिसमे श्री अंजन कुमार व श्रीमति इनोद चौधरी पार्टनर है अपीलान्ट कम्पनी की ओर से पार्टनर को कानूनी कार्यवाही करने का हक व अधिकार है अपीलान्ट की ओर से पार्टनरो ने श्री शोकत खॉन पुत्र दुपाला खॉन को कम्पनी की ओर से कार्यवाही करने के लिये दिनांक 30.6.25 को अधिकृत करते हुये 500/रू0 के एक किता स्टाम्प पेपर पर अधिकृत पत्र तहरीर कर निष्पादित करते हुये नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित कराया और शोकत खॉन को कम्पनी व पार्टनरो की ओर से कार्यवाही करने के लिये अधिकृत किया है अपीलान्ट कम्पनी ने जरिये बैयनामा तहरीरी दिनांक 10.3.25 को आराजी भूमि ख0 न0 432 रकबा 1.00 है, ख0 न0 431 रकबा 1.03 है, ख0न0 430 रकबा 1.086 है0 वाके ग्राम घघोली तहसील अलवर जिला अलवर को खरीद किया है और बाद खरीद उपरोक्त भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा मौके पर चला आ रहा है वैयनामा मे अपीलान्ट कम्पनी का पता मे कुछ अशुद्वी थी जिस कारण दस्तावेज शुद्धी–पत्र दिनांक 25–6–25 को निष्पादित कर पंजीबद्ध कराया गया है इस प्रकार अपीलान्ट उपरोक्त वर्णित आराजी के सदभाविक केता है, सदभाविक केता होने के कारण ग्राम पंचायत घघोली द्वारा वैयनामा के आधार पर उपरोक्त आराजी भूमि का इतंकाल न0 1306 दिनांक 27.6.25 को मिन मैसर्स पारूल कन्स्टेक्शन कम्पनी के हक में स्वीकार कर अमल दराज किया गया है जिस का अमल जमाबंदी में प्रक्रियाधीन होना दर्ज किया गया है लेकिन ग्राम पंचायत घेघोली द्वारा दिनांक 28.6.25 को

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

प्रस्ताव सं0 2 मे इतंकाल सं0 1306 को गलत व विधि विरूद्ध तरीके से खारिज किया गया है जिससे व्यथित होकर यह अपील माननीय न्यायालय श्रीमान मे प्रस्तुत की जा रही है।

अपील अपीलान्ट इस प्रकार प्रस्तुत है कि ग्राम पंचायत का आदेश दिनांक 28.6.25 का है जिससे यह अपील अंदर मियाद प्रस्तुत है ग्राम पंचायत का आदेश विधि एंव तथ्यो के विपरित होनेसे काबिल निरस्त किये जाने योग्य है।

मिन अपीलान्ट उपरोक्त आराजी का सदभाविक केता प्रतिफल सहित है, जिन्होने बेसकिमती रकम अदा कर उपरोक्त आराजी खरीद की है, जो काबिल गौर है। अपीलान्ट उपरोक्त आराजी खरीद के बाद से मौके पर आराजी पर बहैसियत मालिक के काबिज चला आरहा है और मौके पर काबिज है। ग्राम पंचायत ने दिनांक 27.6.25 को मिन अपीलान्ट के खरीद के दस्तावेजात की जाँच करने के उपरांत इतंकाल सं० 1306 मिन अपीलान्ट के हक स्वीकार किया गया है और जमाबंदी मे सम्मत 2071–74 मे उक्त नामान्तंकरण का इन्द्राज प्रक्रियाधीन ख0 न0 430 का दर्ज है जो काबिल गौर है। दिनांक 28.6.25 की बैठक मे गलत व बेजा रूप से विधि विरूद्ध तरीके के बिना किसी पर्याप्त कारण के अपीलान्ट के हक मे स्वीकृत इतंकाल सं० 1306 को सर्वसम्मति से खारिज फरमाया गया है जबकि खारिज किये जाने का कोई पर्याप्त कारण नही है जो काबिल गौर है।

रैस्पाडेन्ट ने दिनांक 28.6.25 की बैठक प्रस्ताव में दर्ज किया है कि पारूल कन्स्टेक्शन कम्पनी ने जो दस्तावेज जमाबंदी व रजिस्टर्ड दस्तावेज इतंकाल के साथ प्रस्तुत किये हे उनमे विकेता पक्ष का पता भिन्न है इस कारण नामान्तंकरण खारिज किया जाता है उपरोक्त कारण सरासर विधि विरूद्ध है चूँकि इतंकाल निरस्त के आदेश से पूर्व सुनवाई का अवसर नही दिया गया है और बिना नोटिस दिये बिना सुनवाई के व बिना किसी पर्याप्त कारण उक्त आदेश पारित किया हे जो काबिल निरस्त किये जाने योग्य है। काबिल गौर श्रीमान है।

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 10.3.25 व रजि० शुद्वी पत्र दिनांक 25.6.25 मे स्पष्ट रूप से सभी विक्रेतागण व सभी केतागण के नाम, पता, उम्र, पेन नम्बर एंव आधार एंव सभी पर्याप्त विवरण दर्ज है और इसी कारण उप पंजीयक महोदय द्वारा पंजीबद्ध किये है और उन्ही पंजीबद्ध दस्तोवज के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा इतंकाल सं० 1306 स्वीकार किया गया है जब एक बार अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर इतंकाल स्वीकार किया जा चूका तो फिर ग्राम पंचायत विधि के सिद्वान्त के आधार पर उन्ही दस्तावेज को आधार बनाकर इतंकाल खारिज नही कर सकती है जो काबिल गौर श्रीमान है। ग्राम पंचायत घघोली का आदेश दिनांक 28.6.25 न्याय के सर्व मान्य सिद्वान्तो के आधार पर काबिल निरस्त किये जाने योग्य है विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध बिना सुनवाई का मौका दिये कोई आदेश पारित नही किया जा सकता है जिस सिद्वान्त के विपरित ग्राम पंचायत द्वारा आदेश पारित किया गया है जो काबिल निरस्त किये जाने योग्य है।

ग्राम पंचायत घघोली द्वारा आदेश पारित किये जाने से पूर्व दस्तावेजात की कोई जॉच नहीं की है और बिना जॉच किये आदेश पारित किया गया है अपीलान्ट की अपील नेक एंव सदभाविक रूप से प्रस्तुत की जा रही हैं। जो भी दीगर एतराजात होगे वक्त बहस माननीय न्यायालय श्रीमान की सेवा मे अर्ज किये जावेगे। अत प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

स्वीकार फैरमाई जाकर ग्राम पंचायत घघोली का आदेश दिनांक 28-6-25 निरस्त फरमाया जावे, और अपीलान्ट के हक मे इतंकाल दर्ज करने के आदेश सादिर फैरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया रेस्पोडेन्ट ग्राम पंचायत ने अपने जबाव के कम में ग्राम पंचायत घेघोली के लेटरपेड पर अनापत्ति प्रमाण पत्र अकंन कर जबाव प्रस्तुत किया कि माननीय न्यायालय उप खण्ड अधिकारी अलवर मे मुकदमा न0 5/25 दिनॉक 18-8-2025 उनवान मैसर्स पारूल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी जर्ये शौकत खॉन बनाम ग्राम पंचायत घेघोली मे ग्राम पंचायत (रेस्पोडेन्ट) अपीलान्ट के समस्त कथनो से हम सहमत है प्रकरण मे दर्ज बयनामा/शुद्विपत्र अनुसार नामान्तकरण दर्ज किया जाता है जो ग्राम पंचायत को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही है अतः ग्राम पंचायत की ओर से अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जावे तो रेस्पोडेन्ट को कोई आपत्ति नही है।

साथ ही न्यायालय आदेशिका पर भी हस्ताक्षर कर अंकन किया कि अपील स्वीकार किये जाने से कोई आपत्ति नही है।

प्रकरण मे बहस सुनी गई जिनके द्वारा अपने लिखित प्रार्थना पत्र के कथनो को ही दोहराया गया रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि उसका जवाव स्वीकार किया जाकर अपील अपीलान्टान की अपील स्वीकार किये जाने की कृपा करे जिसमें रेस्पोडेन्ट की पूर्ण सहमति है। अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है तो रेस्पोडन्ट को कोई आपत्ति नही है

हमने पत्रावली का अवलोकन किया वकुलाय को सुना गया वहस पर मनन करने के उपरान्त पत्रावली का अवलोकन करने तथा वकील की दलीलें सुनने के उपरांत पाया गया कि प्रार्थना पत्र दफा 5 पर उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए इसे स्वीकार किया गया है तथा वहस पर सम्यक् विचार किया गया है

प्रथम दृष्टया, पारित आलोच्य आदेश अपास्त योग्य प्रतीत होता है फलस्वरूप, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है इस प्रकार ग्राम घेघोली ग्राम पंचायत घेघोली तहसील अलवर की आज्ञा इंतकाल संख्या 1306 दर्ज दिनांक 27.06.2025 आदेश दिनांक 28.06.2025, को निरस्त किया जाकर तहसीलदार अलवर आदेशित किया जाता है कि प्रकरण विकय पत्र दिनांक 10.03.2025/18-3-25 पुस्तक संख्या-1 जिल्द संख्या-411 में पृष्ठ संख्या 127 कमॉक संख्या 202503070101557 एंव शुद्वि पत्र दिनांक 27-6-25 पुस्तक संख्या-1 जिल्द संख्या-423 में पृष्ठ संख्या 39 कमॉक संख्या 202503070103864 पर पंजीवद्ध अनुसार नामान्तरण कि कार्यवाही बावत तहसीलदार अलवर पक्षकार को भू-राजस्व अधिनियम एवं अन्य राजस्व नियमों के अनुसार पर्याप्त नामांतरण संबंधी कार्यवाही विधिपूर्वक पुनः संपादित करावे।

माधव भारद्वाज (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर

निर्णय आज दिनांक 27 -10-2025 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

माधव भारद्वाज (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर